सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 144 ए./2015 राजस्व वाद

1. पूरन
2. फूलसिंह पिस0 जगराम जाति गूजर निवासी ग्राम गुहाना तहसील डीग जिला भरतपुर

—वादीगण

बनाम

1. छीतर
2. पत्तो उर्फ पन्नी पिस0 तुल्लू जातियान गूजर निवासी नगला महरानिया तहसील डीग जिला भरतपुर
3. हरनाम सिंह पुत्र मथुरादास जाति खत्री निवासी ग्राम खोह तहसील डीग

—प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी
अर्न्तगत धारा 88—89 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय **दिनांक :— 29.01.2018**

वादीगण ने यह वाद दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88—89 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने जीवनीबाई से तारीख 15.05.1981 को खरीदी थी और दौराने सैटिलमेन्ट उक्त आराजी 3 बीघा 5 विस्वा प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादीगण को विक्रय कर दिनांक 29.08.1983 को वयनामा करा दिया और कब्जा मौके पर दे दिया वक्त वयनामा से ही वादीगण उक्त आराजी हाल ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 में 1/2 हिस्सा पर

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

वहैसियत काश्तकार खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं आज भी मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज हैं। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल करने की फिराक में हैं, जिसकी पूर्ति में दिनांक 15.07.2005 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि आराजी मुत0 मेरे नाम चली आ रही है और आराजी मुत0 को दीगर लोगों को रहन वय मुन्तकिल करके रहूँगा व वादीगण को आ0 मुत0 से बेदखल करके रहूँगा। यदि प्रतिवादीगण अपयनी उक्त एलानियां धमकी में काययाब हो गए तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार की नकद धनराशि से नहीं हो सकेगी, लिहाजा वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल न करें व वादीगण को लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन बेदखल न करें व ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात पहुँचे। अतः आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग के 1/2 हिस्सा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किय जावे एवं उक्त आराजी पर हो खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल न करें व वादीगण को लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन बेदखल न करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित अदालत नहीं आने पर प्रति0 सं0 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोह सम्वत् 2057–2060 प्रदर्श पी.[1], असल वयनामा छीतर व पत्तो उर्फ पन्नी दिनांक 29.08.1983 प्रदर्श पी.[2], नकल खसरा पत्रक भूप्रबन्ध विभाग ग्राम खोह पृष्ठ सं0 594 प्रदर्श पी.[3] पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य में वादी पूरन ने बयान पी.डब्ल्यू.[1], बयान फूलसिंह पी.डब्ल्यू.[2] दर्ज कराकर अपने साक्ष्य पेश किये।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

विद्वान वकील वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने जीवनीबाई से तारीख 15.05.1981 को खरीदी थी और दौराने सैटिलमेन्ट उक्त आराजी 3 बीघा 5 विस्वा प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादीगण को विक्रय कर दिनांक 29.08. 1983 को वयनामा करा दिया और कब्जा मौके पर दे दिया वक्त वयनामा से ही वादीगण उक्त आराजी हाल ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 में 1/2 हिस्सा पर वहैसियत काश्तकार खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं आज भी मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज हैं। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में आराजी मुत0 को रहन–वय–मुन्तकिल करने की फिराक में हैं। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं है। अतः अतः आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 बाकै ग्राम खोह तहसील डीग के 1/2 हिस्सा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किय जावे एवं उक्त आराजी पर हो खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल न करें।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर हमने मनन किया तथा वादपत्र के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया गया। वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 के समर्थन में प्रस्तुत तथाकथित असल वयनामा दिनांक 29.08.1983 की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि वादीगण फूलसिंह व पूरन ने साबिक ख0नं0 3082 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा को विधिवत् खरीद किया गया है। प्रस्तुत वयनामा उपपंजीयक डीग द्वारा पंजीबद्ध किया गया है जिसकी विश्वनीयता पर कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत खसरा पत्रक भूप्रबन्ध विभाग भरतपुर ग्राम खोह के पृष्ठ संख्या 594 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 3081, 3082 मि0 3079 मि0 व 3080 मि0 को दर्शात हुए नवीन खसरा नं0 2969/0.23 एवं साबिक ख0नं0 3082 मि0 से नवीन ख0नं0 2969/0.82 दौराने हाल सैटिलमेन्ट बनाये गये हैं लेकिन प्रस्तुत हाल जमाबन्दी ग्राम खोह सम्वत् 2057–2060 प्रदर्श पी.[1] में विवादित

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

आराजी ख0नं0 2968/0.23 व 2969/0.82 हैक्टे0 पर हरनाम सिंह पुत्र मथुरादास कौम खत्री सा0देह खातेदार छीतर, पन्नो पुत्र तुल्लू कौम गूजर सा0 न0 महरानिया खातेदार का इन्द्राज है। जबकि प्रतिवादीगण छीतर व पन्नो ने उक्त आराजी के साबिक ख0नं0 3082 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा को जरिये वयनामा दिनांक 29.08.1983 को वादीगण को विक्रय कर मौके पर कब्जा व दखल दे दिया गया था। इस आधार पर हाल जमाबन्दी में उक्त खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण छीतर व पन्नो विधि के प्रावधानानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के वादीगण के वादपत्र के तथ्यों का कोई विरोध नहीं किया है। प्रति0 की अप्रत्यक्ष रूप से सहमति होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर वादीगण दावा स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण पूरन, फूलसिंह पिस0 जगराम जाति गूजर निवासी ग्राम गुहाना तहसील डीग को विवादित आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 हैक्टे0 बाकै खोह के हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर हो रहे वर्तमान खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण छीतर, पत्तो उर्फ पन्नी का नाम कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण छीतर, पत्तो उर्फ पन्नी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्सा 1/2 रकबा के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार मजाहमत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 144 ए./2015 राजस्व वाद

1. पूरन
2. फूलसिंह पिस0 जगराम जाति गूजर निवासी ग्राम गुहाना तहसील डीग जिला भरतपुर

–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. छीतर
2. पत्तो उर्फ पन्नी पिस0 तुल्लू जातियान गूजर निवासी नगला महरानिया तहसील डीग जिला भरतपुर
3. हरनाम सिंह पुत्र मथुरादास जाति खत्री निवासी ग्राम खोह तहसील डीग

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी

अर्न्तगत धारा 88–89 व 188 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण पूरन, फूलसिंह पिस0 जगराम जाति गूजर निवासी ग्राम गुहाना तहसील डीग को विवादित आराजी ख0नं0 2968/0.23, 2969/0.82 हैक्टे0 बाकै खोह के हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर हो रहे वर्तमान खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण छीतर, पत्तो उर्फ पन्नी का नाम कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण छीतर, पत्तो उर्फ पन्नी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्सा 1/2 रकबा के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार मजाहमत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज ....मुवलिंग.. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर...को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक...को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 29.01.2018 माह............................सन्............................ को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.)

दस्तखत.. (उप खण्ड अधिकारी)

ओहदा.. (डीग (भरतपुर) राज.)

मीजान		रूपया	पैसे	मुद्दालय		रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	2		स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प बजह सबूत	.....			महनताना वकील)पर	.....		
महनताना वकील)पर	.....			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
फीस कमिश्नर	.....			बावत इजराय हुक्मनामा	.....		
बावत इजराय हुक्मनामा	.....			मुतफरिक	.....		
मुतफरिक	.....	2					
मीजान	.....			मीजान	.....		